# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 03 / 2020

1–चन्द्रशेखर पुत्र रामसिंह । जाति ठाकुर निवासी ग्रांम इकरन
2–लाखन सिंह पुत्र रामसिंह । तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

**बनाम**

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर
2–लालचंद पुत्र श्री शोभाराम जाति ठाकुर निवासी ग्रांम इकरन तहसील व जिला भरतपुर **(मृतक)**
2/1– गिरधारी पुत्र लालचंद जाति ब्राहम्ण निवासी घासीराम नगर के सामने मडरपुर रोड भरतपुर हाल मकान नम्बर 37–38 लक्ष्मी नगर भरतपुर
2/2– श्याम पुत्र लालचंद जाति ब्राहम्ण निवासी घारीराम नगर के सामने मडरपुर रोड भरतपुर हाल नगला परशुराम तहसील व जिला भरतपुर
2/3– महेश । पुत्र लालचंद जाति ब्राहम्ण निवासी घासीरामनगर के सामने
2/4–मुकेश । मडरपुर रोड भरतपुर हाल मकान नम्बर 37–38 लक्ष्मीनगर भरतपुर

.....**असल रेस्पो.**

3–शकुन्तला पत्नी रुपसिंह ।
4–करतार पुत्र रुपसिंह । जाति ठाकुर निवासी ग्रांम इकरन
5–विजयसिंह पुत्र रुपसिंह ।
6–श्रीमती पुत्री रुपसिंह पत्नी राजवीर निवासी विडोरा तहसील छाता जिला मथुरा
7–कुसुमवती पुत्री रुपसिंह पत्नी श्री भीकमसिंह निवासी नौगाया तहसील माट जिला मथुरा यूपी

.....**तरतीवी रेस्पो**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 593 बाके तारीख 10.12.2001 ग्रांम इकरन तहसील भरतपुर

---

**उपस्थितः–**
1–श्री नीरपाल सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार रेस्पो.1

**दिनांक 15.05.2026**

**निर्णय**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 593 तारीख 10.12.2001 बाके ग्रांम इकरन तहसील भरतपुर के यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.2.20 को पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

तहसीलदार भरतपुर ने सहायक कलेक्टर भरतपुर कैम्प इकरन दिनांक 10.12.2001 की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण 593 खोला जाकर दिनांक 10.12.2001 को स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. की ओर से सहमति प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अन्य रेस्पो. के अभिभाषक उपस्थित नहीं आये।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपील अन्दर म्याद पेश की गई है, अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा अपने आदेश तारीखी 10.12.2001 में तहसीदार को बयनामा तारीखी 4.7.1985 के आधार पर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु तहत न्यायालय ने बयनामा तारीखी 4.7.85 में साविक खसरा नम्बर 254 अभिवर्णित होते हुये तथा उससे बने हाल खसरा नम्बर 384/0.24 में विक्रेता लालचंद का 1/2 हिस्सा दर्ज होने के बाबजूद लालचंद के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 593 में क्रेतागण रामसिंह व रुपसिंह के नाम तस्दीक करने में कानूनी गलती की है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि इस सम्बन्ध में बच्चों ने अपनी सहमति प्रार्थनापत्र पेश कर दिया है। अपीलाधीन आदेश को संशोधित कर हाल खसरा नम्बर 384/0.24 के निष्फ हिस्सा लालचंद पर अपीलान्टान संख्या 1 व 2 वहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा पर नामान्तकरण मुताविक बयनामा तारीखी 04.07.1985 तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार का कहना है कि अपील म्याद बहार पेश की गई है इसलिये खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया । प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार भरतपुर ने सहायक कलेक्टर भरतपुर कैम्प इकरन दिनांक 10.12.2001 की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण 593 की पालना में खोला जाकर दिनांक 10.12.2001 को स्वीकार किया गया है। सहायक कलेक्टर भरतपुर कैम्प ग्रांम पंचायत इकरन में एक कैफियत दिनांक 10.12.2001 को तहसीलदार भरतपुर को जारी की गई है जो इस प्रकार है :–

".....विषयान्तर्गत उक्त उनवानी मुकदमें मे निर्णय तारीखी 10.12.2001 के क्रम में लेख है कि बयनामा संख्या 4.7.85 के छाया प्रति सलंग्न कर भेजी जा रही है उक्त बयनामा के आधार पर वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर रिपोर्ट आज ही प्रस्तुत करें। मिलान क्षेत्रफल की नकल भी शामिल हैं....."

योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण बयानामा के आधार पर नहीं खोला गया है। नामान्तकरण संख्या 593 में क्रेतागण रामसिंह व रुपसिंह के नाम तस्दीक नहीं किये जाने की त्रुटि की है। यह जांच का बिन्दू है। प्रकरण को तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये, मुताबिक आदेश सहायक कलेक्टर भरतपुर कैम्प ग्रांम पंचायत इकरन के आदेश दिनांक 10.12.2001 के निर्देशानुसार रजिस्टर्ड बयनामा 4.7.85 के मुताविक विधिवत पुनः आदेश प्रारित करें।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2001 नामान्तकरण संख्या 593 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये, मुताबिक आदेश सहायक कलेक्टर भरतपुर कैम्प ग्रांम पंचायत इकरन के आदेश दिनांक 10.12.2001 के निर्देशानुसार रजिस्टर्ड बयनामा 4.7.85 के मुताविक विधिवत पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनाक 15.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर